902 औद्योगिक इकाइयों से मांगा उत्पादनरत का प्रमाण

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इन उद्योगों की लिस्ट जारी की, उद्यमियों के लिए परेशानी का सबब

जासं, गोरखपुरः गीडा ने औद्योगिक क्षेत्र की 902 औद्योगिक इकाइयों से उत्पादनरत होने का प्रमाण मांगा है। इसके लिए बाकायदा इन सभी औद्योगिक इकाइयों की लिस्ट जारी की गई है। गीडा(गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के 902 औद्योगिक इकाइयों के पास उत्पादनरत इकाई का सर्टिफिकेट नहीं है। गीडा प्रशासन ने इन औद्योगिक इकाइयों के द्वारा उत्पादनरत होने संबंधी प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराने पर कड़ी कार्रवाई करने की योजना तैयार की है। वहीं, कई उद्यमियों के सामने इसके संबंध में दस्तावेज इकट्ठा करने में काफी दिक्कत आ रही है। उन्होंने इसमें सरलीकरण की मांग की है।

प्रदेश में संचालित उद्योगों की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए शासन स्तर काफी सक्रियता बढ़ा दी गई है। गीडा प्रशासन से भी इस संबंध में रिपोर्ट तलब की गई है। इसके बाद गीडा प्रशासन ने गीडा औद्योगिक क्षेत्र की उद्योगों की रिपोर्ट तैयार की है। इसमें 90 प्रतिशत से ज्यादा ऐसे उद्योगों को उत्पादनरत नहीं होने की सूची में रखा गया है।

दरअसल गीडा प्रशासन ने गीडा उद्योगों की स्थापना के लिए अब तक 1034 भूखंडों का आवंटन किया है। लेकिन, गीडा प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार अभी केवल 127 ही ऐसे उद्योग हैं, जिनमें उत्पादन होता है। 902 औद्योगिक इकाइयां ऐसी हैं, जिन्हें उत्पादनरत नहीं होने वाले उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि इन उद्योगों के पास उत्पादनरत इकाई होने का सर्टिफिकेट नहीं है। इनमें तो कई औद्योगिक इकाइयां ऐसी हैं, जिनकी स्थापना करीब तीन दशक से भी ज्यादा पहले किया गया है। इन सभी औद्योगिक इकाइयों से उत्पादनरत होने का प्रमाणपत्र मांगा गया है।

भूखंड आवंटन के दो साल में उत्पादन का प्रविधान

उद्योग स्थापना के लिए भूखंड आवंटन के दो साल के अंदर उत्पादन शुरू करने का प्रविधान है। इसके बाद उद्यमियों को समय विस्तारण शुल्क देना पड़ता है। वहीं, पांच साल तक उद्योगों की स्थापना नहीं करने पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा भूखंडों का आवंटन निरस्त करने का भी खतरा बना रहता है। इस वजह से जिन उद्यमियों के पास अपनी फैक्ट्री के उत्पादनरत संबंधी जरूरी दस्तावेज नहीं है, उनके सामने काफी परेशानी पैदा हो गई है। उद्यमी इसके लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं।

GIDA
GORAKHPUR INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

पांच तरह के प्रमाणपत्र उद्यमियों के लिए बने परेशानी का सबब चैंबर आफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आरएन सिंह ने कहा कि गीडा प्रशासन के द्वारा उत्पादनरत संबंधी प्रमाणपत्र के लिए पांच तरह के प्रमाणपत्र मांगे गए हैं। इसकी वजह से उद्यमियों को काफी दिक्कत हो रही है। पहले प्रविधान था कि उद्यमियों के द्वारा फैक्ट्री में बिजली कनेक्शन संबंधी लाल पर्ची उपलब्ध करा देने पर उत्पादनरत उद्योग मान लिया जाता था। ऐसे में गीडा प्रशासन से मांग है कि उत्पादनरत फैक्ट्री संबंधी प्रमाणपत्र के प्रविधान का सरलीकरण कर दिया जाए।

-आरएन सिंह, अध्यक्ष, चैंबर आफ इंडस्ट्रीज।

- शासन स्तर पर औद्योगिक स्थिति के संबंध मानिटरिंग की जा रही है। गीडा के 902 उद्योग उत्पादनरत श्रेणी में नहीं हैं। इनकी लिस्ट जारी की गई है। इन सभी औद्योगिक इकाइयों को उत्पादनरत संबंधी प्रमाणपत्र जमा करना है। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

-अनुज मलिक, सीईओ, गीडा